

## ::आदेशः

शासन के निर्देशानुसार वर्ष-2013 की आपदा से बेघर हुये परिवारों के लिए प्री-फैब्रीकेट आवास एवं पारम्परिक भवन बनाये जाने हैं। प्री-फैब्रीकेट आवास/पारम्परिक भवन हेतु लाभार्थियों का चयन एवं निर्माण के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के निस्तारण हेतु निम्न प्रकार अधिकारियों को नामित किया जाता है।

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. सम्बन्धित तहसीलदार     | - शिकायत के निस्तारण हेतु नामित अधिकारी। |
| 2. सम्बन्धित उपजिलाधिकारी | - प्रथम अपीलीय अधिकारी।                  |
| 3. जिलाधिकारी             | - द्वितीय अपीलीय अधिकारी।                |

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।

कार्यालय-जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।

संख्या- 1111 / तह- 38 (2012-13) दिनांक- 15 अक्टूबर, 2013

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त उपजिलाधिकारी/तहसीलदार ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी।
3. अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तरकाशी।

जिलाधिकारी  
उत्तरकाशी।